9

व अदालत अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा

पी0 ए0 केश न0 09/2014.15

धोटो मुर्मु कौरह

बनाम

रैयान मौजा कसियाजोर

:-आदेशः-

17/7/17

आवेदक नुनवा मुर्मू एव देवेन्द्र देहरी के कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित रहने के करण आवेदक छोटो मुर्मू के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय सुना।अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रक्रिया आवेदक छोटो मुर्मू पे0 स्व0 मताल मुर्मू सा0 कसियाजोर अंचल पोडैयाहाट जिला गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने मौजा कसियाजोर के रिक्त प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया है। इसी प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए आवेदक नुनवा मुर्मू पे0 मंशी मुर्मू एवं देवेन्द्र देहरी पे0 स्व0 फागू देहारी सा0 करियाजोर अंचल पोडैयाहाट जिला गोड्डा ने भी आवेदन किया है

इस संबंध में अंचल अधिकारी पोडैयाहाट के पत्रांक 218 /रा0 दिनांक 26/06/2014 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा करियाजोर थाना न0 145 के पूर्व प्रधान खतियान के अनुसार देवान मुर्मू थे। आवेदक छोटो मुर्मू खतियानी प्रधान देवान मुर्मू के परपोता है।

मौजा के सौलह आना रैयतों को आपत्ति हेतु नोटिश का तामिला कराया गया।नुनवा मुर्मू एवं देवेन्द्र देहरी को छोडकर अन्य किसी से आपत्ति प्राप्त नहीं है। आवेदन देने के बाद नुनवा मुर्मू एवं देवेन्द्र देहरी भी लगातार अनुपस्थित रह रहे है । इससे स्पष्ट है कि दोनो का इस वाद में रूचि नहीं रह गया है।

अतः संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 6 के तहत उत्तराधिकारी के आधार पर आवेदक छोटो मुर्मू पे0 स्व0 मताल मुर्मू सा0 कसियाजोर अंचल पोडैयाहाट जिला गोड्डा को मौजा कसियाजोर थाना न0 145 का प्रधान नियुक्त किया जाता है एवं उन्हें आदेश दिया जाता है कि एक साल का खजाना बतौर कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करे।

लिखाया एवं शुद्ध किया ।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा

18/6/2020

आवेदक नव नियुक्त प्रधान के द्वारा जमानत की राशि का कोषागार चालान की प्रति के साथ कबूलियत दाखिल किया गया है। पट्टा हस्ताक्षरित। निर्गत करें।

अनु० पदा०
19.6.20